**जरिये वेबसाईट/ईमेल**

राजस्थान सरकार

# औषधि नियत्रंण संगठन स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांकः एडीसी/जेपीआर/एसएस/2015/234 दिनांकः 30/11/15

## आदेश

कार्यालय के परिपत्र क्रमांक डीसी–2/ई–1/2015/82 दिनांक 02.03.15 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि सभी औषधि नियंत्रण अधिकारी बाजार से संदेह की स्थिति में औषधि का सर्वे सैम्पल लेंगे एवं इसी औषधि की सैम्पल के लिए पर्याप्त मात्रा को 20 दिवस के लिये बिक्री पर रोक लगायेंगे। सर्वे सैम्पल औषधि परिक्षण प्रयोगशाला को तुरन्त भिजवायेंगे एवं प्रयोगशाला 10 से 15 दिवस में रिपोर्ट प्रेषित करेंगी। अवमानक होने पर औषधि का नियमित नमूना अधिनियम के तहत लिया जावेगा।

अतः उपरोक्त के संदर्भ में पुनः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सभी औषधि नियंत्रण अधिकारी बाजार/संस्थानों से संदेह की स्थिति में औषधि का जो भी सर्वे सैम्पल लेंगे, उस औषधि की सैम्पल के लिये पर्याप्त मात्रा को 20 दिवस के लिये बिक्री पर रोक लगायेंगे/फ्रिज करेंगे, तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही भी संपादित करने की सुनिश्चितता करेंगे, जिससे कि औषधि के अवमानक घोषित होने पर औषधि का नियमित नमूना अधिनियम के तहत लिया जा सके।

27/11/15
(के0 जयवन्त)
औषधि नियंत्रक (द्वितीय)
राज0 जयपुर।

क्रमांकः एडीसी/जेपीआर/एसएस/2015/234 दिनांकः 30/11/15

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. औषधि नियंत्रक (प्रथम), राजस्थान, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
2. उपनिदेशक, औषधि परिक्षण प्रयोगशाला, सेठी कॉलोनी, जयपुर।
3. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त की पालना सुनिश्चित करावें।
4. समस्त औषधि नियत्रंण अधिकारी, राजस्थान को पालनार्थ।
5. प्रभारी सर्वर रूम निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर डलवाने एवं संबंधितों को ईमेल करने की व्यवस्था कराने का श्रम करावें।
6. कार्यालय प्रति।

27/11/15
(के0 जयवन्त)
औषधि नियंत्रक (द्वितीय)
राज0 जयपुर।